

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

सं0सं0-02/कर माफी -23/2015 परि0

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पत्रांक-1268दिनांक-19.09.2016 द्वारा मुख्य अप्रवासन अधिकारी, अप्रवासन ब्यूरो, अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया, गृहमंत्रालय, भारत सरकार, के एक नये वाहन (मोटर साइकिल) के कुल एकमुश्त कर 3121/- (तीन हजार एक सौ एककीस) रुपये के कर माफी किये जाने हेतु अभिलेख संख्या-910/2015 द्वारा अनुशंसा की गई है जिसकी संबंधित विवरणी निम्नलिखित है

Sl. No.	Registration No.	Engine Number	Chasis Number	Period of Tax	Amount of Tax in Rs
1	New Vehicle Motor Cycle	HA10EWG9A00016	MBLHA10BWG9A00075	One Teme Tax	3121.00

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वातित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यययोजित की गई है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, गया से प्राप्त मुख्य अप्रवासन अधिकारी, अप्रवासन ब्यूरो, अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया, गृहमंत्रालय, भारत सरकार, के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित कुल एकमुश्त कर 3121/- (तीन हजार एक सौ एककीस) रुपये की विमुक्ति इस आदेश के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा। उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 28/10/16

आपांक-02/कर माफी-23/2015 परि0

6419

प्रतिलिपि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/ मुख्य अप्रवासन अधिकारी, अप्रवासन ब्यूरो, अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया, गृहमंत्रालय, भारत सरकार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अेषित।

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग बिहार, पटना।

सं0सं0
२३-१०-१६

E-mail